2026:AHC:40729

AFR
Reserved on 17.02.2026
Delivered on 24.02.2026

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - A No. - 2353 of 2026

Surendra Dutt Kaushik

.....Petitioner(s)

Versus

State of U.P. and others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Awadh Narain Rai
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C., Arjun Prasad Yadav, Ritesh Upadhyay

---

Court No. - 32

HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

1. This is second round of litigation. In earlier round petitioner has approached this Court by way of filing Writ-A No. 9948 of 2023, which was allowed by a judgment dated 15.12.2023, whereby the impugned order dated 20.05.2023 therein passed by the District Basic Education Officer, Baghpat and a Consequential Order dated 24.05.2023 passed by the Block Development Officer, Baraut, Baghpat, were set aside and a mandamus was issued to respondents to accord post retiral benefits to petitioner as permissible in law forthwith. A further liberty was granted that amount alleged to be

embezzled could be recovered if it is permissible under any provision of law. For reference relevant part of judgment dated 15.12.2023 is reproduced hereinafter:

> *"16. I have heard the learned counsel for the parties and perused the record carefully.*
>
> *17. The facts of the case are not in dispute. It is also not in dispute that the writ petitioner retired on 31.03.2021 as a Principal of the institution in question. The bone of contention between the parties is as to whether any proceedings for recovery of the said amount could have been undertaken post retirement of the writ petitioner. Though the writ petitioner seeks to rely upon the provisions contained under Article 351-A of the Civil Services Regulation which according to the writ petitioner is the only source of power for holding departmental proceedings against a retired employee but according to the learned counsels for the respondents, the Government order dated 28.10.1980 as modified on 30.09.1982 would come into play. From the perusal of the order impugned dated 20.05.2023 of the District Basic Education Officer, Baghpat, third respondent it is apparent that the said Government orders has been relied upon for making recovery.*
>
> *18. For the sake of brevity, the Government order dated 28.10.1980 and 30.09.1982 are being quoted hereinunder:*
>
> > *"प्रेषक,*
> > *श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी*
> > *विशेष सचिव*
> > *उत्तर प्रदेश शासन।*
> > *सेवा में,*
> > *समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,*
> > *उत्तर प्रदेश।*
> > *वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 28 अक्टूबर, 1980*

विषयः- सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों, जिनके विरुद्ध विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच चल रही हो, को अनन्तिम पेंशन का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के पेंशन संबंधी वर्तमान नियमों में अभी तक इस आशय का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है कि सेवा निवृत्ति के दिनांक को, अथवा सेवानिवृत्त होने के उपरान्त यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच जारी हो अथवा जारी किया जाना अपेक्षित हो तो क्या उसे पेंशन तथा अन्य नैवृत्तिक लाभ देय होंगे या नहीं? उक्त स्थिति में सामान्यतः अपनाये गये दृष्टिकोण और प्रयुक्त प्रक्रिया के अनुसार जब तक उस कार्यवाही अथवा जांच का परिणाम प्राप्त न हो जाय तब तक संबंधित सेवक को कोई पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता है। उक्त कार्यवाहियों और जांच के पूरी होने और फिर आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर अन्तिम निर्णय लेने में अधिक समय भी लग सकता है और उस दशा में संबंधित सेवा निवृत्त कर्मचारी वर्षों तक सेवा नैवृत्तिक लाभों से वंचित रहता है जिससे उसे काफी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त कई मामलों में कार्यवाही या जांच के परिणाम स्वरूप कर्मचारी निर्दोष पाया जा सकता है। इस प्रसंग में आपका ध्यान शा०अ०सं० सा-3-2085/ दस-907/76, दिनांक 13-12-1977 की ओर भी आकर्षित करना है जिसमें ऐसे मामले में, जिनमें पेंशन ग्रेच्युटी की स्वीकृति और कागजात तैयार करने की कार्यवाही निर्धारित समय में पूरी न हो सके, अनन्तिम पेंशन व आशुतोषिक दिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे। इन आदेशों का लाभ भी उपर्युक्त कार्यवाही अथवा जांच के मामलों में नहीं मिल पाता है।

2. इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त तथा इस बात को देखते हुए कि राज्य में प्रयुक्त नियमों और आदेशों के अन्तर्गत सामान्यतः सेवा निवृत्त कर्मचारी को पेंशन तथा ग्रेच्युटी के अन्तिम रूप से निर्धारित न हो सकने पर अनन्तिन पेंशन/ग्रेच्युटी स्वीकार किये जाने की व्यवस्था है, श्री राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे राज्य कर्मचारियों को, जिनके विरुद्ध सेवा निवृत्ति के समय विभागीय न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो, अनन्तिम पेंशन का भुगतान अधिकृत कर दिया जाय, किन्तु ग्रेच्युटी का भुगतान किसी भी दशा में उक्त कार्यवाही या जांच पूरी होने और अन्तिम निर्णय होने के पूर्व न किया जाय। ग्रेच्युटी की धनराशि से वह कटौतियां की जायेंगी जिनका उल्लेख विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही इत्यादि के फलस्वरूप पारित आदेश में किया गया हो। ऐसे मामलों में अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति निम्न व्यवस्था के अधीन देय होगी-

(1) अनन्तिम पेंशन उस धनराशि के बराबर होगी जो उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक और यदि कर्मचारी सेवा निवृति की तिथि को निलम्बित हो तो उसके निलम्बन के ठीक पहले की तिथि तक की अर्हकारी सेवाकाल के अनुसार अनुमन्य होती हो,

(2) यह पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से उस दिनांक तक मिलेगी जब कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही जांच पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश पारित करा दिये जों, तथा

(3) इस अनन्तिम पेशन का, कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त अन्ततः कर्मचारी को स्वीकृत होने वाली पेशन में समायोजन कर लिया जायेगा किन्तु यदि अन्तिम रूप से स्वीकृति होने वाली पेशन की राशि अनन्तिम पेशं से कम हो अथवा पेशन स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिये कम कर दी जाय या आस्थगित की जाय, तो कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जायेगी।

(4) कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय

बाल कृष्ण चतुर्वदी,

विशेष सचिव।"

"प्रेषक,

श्री जगमोहन लाल बजाज,

वित्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान) अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर 1982

विषय- सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों जिनके विरूद्ध सतर्कता जांच चल रही हो, को अन्तिम पेंशन का भुगतान।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी सेवकों, जिनके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के समय विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा सतर्कता/प्रशासनाधिकरण जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो को नियमानुसार देय ग्रेच्युटी की सम्पूर्ण धनराशि रोक कर कतिपय शर्तों के अधीन अनन्तिम पेंशन का भुगतान किये जाने की व्यवस्था शासनादेश सं० सा-3-1070/दस-80-999? 79 दिनांक 20 अक्टूबर, 1980 तथा मं० सा 3-1000/दस 909?-79 दिनांक 24 अक्टूबर, 1981 में की गई थी।

2- उपरोक्त मामले पर पुनर्विचार करने पर यह पाया गया है कि सतर्कता जांच एक फैक्ट फाइन्डिंग इन्क्वायरी होती है, विभागीय कार्यवाही नहीं। यदि इस जांच के फलस्वरूप सरकारी सेवकों के विरुद्ध ऐसे तथ्य सम्मुख आते हैं जिनके लिये विभागीय/न्यायिक कार्यवाही की आवश्यकता हो तो ऐसी कार्यवाही आरम्भ की जाती है। यदि सरकारी

सेवक के सेवाकाल में उक्त कार्यवाही आरम्भ नहीं की जा सकी है तो सेवानिवृत्ति के बाद सी०एस०आर० के अनुच्छेद 351-ए के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही केवल ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में ही आरम्भ की जा सकती है जो कार्यवाही आरम्भ करने की तिथि से पूर्व 4 वर्ष की अवधि के अन्दर घटित हुई हों। उक्त नियम में प्रावधान है कि विभागीय/न्यायिक कार्यवाही के फलस्वरूप दोषी पाये गये सरकारी सेवक की पूरी अथवा आंशिक पेंशन स्थाई रूप से या निर्धारित अवधि तक रोकी या अपहरित की जा सकती है या यदि स्वीकृत हो गई हो तो वापस ली जा सकती है अथवा शासन को हुई आर्थिक हानि की उससे वसूली की जा सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सतर्कता जांच या अन्य किसी फैक्ट फाइन्डिंग जांच के मामलों में पेंशन स्वीकृत कर देने के बाद भी दोषी सेवकों की पेंशन रोकने, कम करने, समाप्त करने तथा हानि की वसूली कराने का शासन का अधिकार सी०एस०आर० के अनुच्छेद 351-ए में वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन बना रहता है किन्तु सतर्कता जांच के दौरान अंतिम पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान रोकने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

3- वर्णित परिस्थितियों में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 तथा दिनांक 24 अक्टूबर, 1981 का आंशिक संशोधन करते हुये शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उनमें निहित आदेश सतर्कता जांच के मामलों में लागू न किये जायेंगे और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान इस आधार पर न रोका जाय कि उनके विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही है। विभागीय/न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण जांच के मामलों में अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करने तथा ग्रेच्युटी की सम्पूर्ण धनराशि रोके रखने की व्यवस्था पूर्व की भाँति बनी रहेगी।

4- उपर्युक्त व्यवस्था से सम्बन्धित नियम संशोधित माने जायेंगे और औपचारिक संशोधन यथासमय अलग से किये जायेंगे।

5- कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

भवदीय,

जगमोहन लाल बजाज

वित्त सचिव।"

19. Perusal of the Government order dated 28.10.1980 would reveal that the same contains the subject with respect to payment of provisional pension of the retired employee against whom departmental enquiry or judicial/vigilance inquiry is pending. As per the said Government order, in the case where departmental, judicial or vigilance inquiry are pending, the payment of full and final pension and gratuity would not be made and post concluding of the said proceedings a decision is said to be taken.

20. The Government order dated 28.10.1980 came to be modified by virtue of another Government order dated 30.09.1982 according to which, in para 3, it has been clarified that the Government order dated 28.10.1990 stand modified to the extent that withholding of full and final pension and gratuity on the ground of the pendency of a vigilance inquiry would not be justifiable as the same can only be withheld once departmental/judicial/criminal proceedings are pending. Relying upon the said Government orders, recovery was directed to be made.

21. Now a question arises as to whether the said Government orders can be used as a tool against the writ petitioner.

22. Article 351-A of the Civil Services Regulations quoted hereinunder:

"The Governor reserves to himself the right of withholding or withdrawing a pension or any part of it, whether permanently or for a specified period and the right of ordering the recovery from a pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government, if the pensioner is found in departmental or judicial proceedings to have been guilty of grave misconduct, or to have

caused pecuniary loss to Government by misconduct or negligence, during his service, including service rendered on re-employment after retirement:

Provided that-

(a) Such departmental proceedings, if not instituted while the officer was on duty either before retirement or during reemployment -

i) shall not be instituted save with the sanction of the Governor.

ii) shall be in respect of an event which took place not more than four years before the institution of such proceedings;"

23. Here in the present case, the Court finds that the Government order dated 28.10.1980 deals with withholding of pension owing to pendency of departmental, judicial and vigilance inquiry requiring payment of provisional pension and not full and final pension and gratuity. However, the said Government order stood modified on 30.09.1982 whereby now with respect to pendency of vigilance inquiry withholding of full pension and gratuity was made impermissible. In the present case in hand the Court finds that neither departmental inquiry nor judicial proceedings or vigilance inquiry was pending on the date of the retirement and further no proceedings under Article 351-A of the Civil Services Regulation was initiated. The only proceedings which was initiated post retirement of the writ petitioner was an inquiry on the basis of a complaint of Shri Babu Ram while constituting a three member committee under the orders of the District Basic Education Officer, Baghpat. The said inquiry cannot be said to be a departmental inquiry. Moreover at best it can be said to be a fact finding inquiry other than a departmental inquiry. Since Article 351-A Civil Services Regulations provides for mode and the manner according to which post retirement, departmental inquiry can be conducted against the Government servant but the said procedure has not been adopted thus this Court is of the opinion that no recovery could to have been

made against the writ petitioner. Apart from the same, it is also the allegation of the writ petitioner that he was not furnished the documents and the inputs which were made the basis issuance of the order of recovery while relying upon the paragraph Nos. 10, 11, 12, 13, 16, 25, 27 of the writ petition, but, from the perusal of the counter affidavit filed by the second respondent, Block Development Officer, Baraut, Baghpat, this Court finds that the averments contained in the said paragraphs have been evasively replied in paragraph Nos. 18 to 20.

24. Accordingly, the writ petitioner is allowed and the order dated dated 20.05.2023 passed by the third respondent, District Basic Education Officer, Baghpat and the consequential order dated 24.05.2023 of the Block Development Officer, Baraut Baghpat are set aside. A mandamus issued to the respondents to accord post retiral benefits to the writ petitioner as permissible in law forthwith. The order passed today would not preclude the respondents to recover the said amount if it is permissible under any provision of law."

2. Subsequently the District Basic Education Officer, Baghpat passed an order dated 11.01.2024 and was communicated to Director, Mid Day Meal Authority, U.P., whereby permission was sought under Article 351A of Civil Service Regulations to proceed with inquiry against petitioner. For reference relevant part of said order is mentioned hereinafter:

"जिसके क्रम में वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा बागपत ने अपने कार्यालय पत्रांक:-*235-42/*एम०डी०एम०*/2023-24* दिनांक *27.06.2023* के द्वारा अवगत कराया कि "धनराशि की गणना विद्यालय के मध्यान्ह भोजन निधि खाते के बैंक स्टेटमेंट एवं वरिष्ठ विपणन निरीक्षक *(*एस०एम०आई०*)* बड़ौत की पुष्टि के आधार पर की गई है। जैसे कि आप अवगत हैं कि विद्यालय में मिड-डे-मील सम्बन्धित समस्त दस्तावेज/अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। जिस कारण श्री सुरेन्द्र दत्त कौशिक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, सर्वोदय मन्दिर इण्टर कालिज बावली बड़ौत पर उनके कार्यकाल की मिड-डे-मील की धनराशि, खाद्यान्न आदि की वास्तविक भूल धनराशि की गणना किया जाना सम्भव नहीं होगा।

जिस हेतु श्री सुरेन्द्र दत्त कौशिक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, सर्वोदय मन्दिर इण्टर कालिज बावली बड़ौत पर रुपये *11,14,160.30* की कोरोना काल *(*अवधि अप्रैल, *2019* से फरवरी, *2022* तक*)* की खाद्य सुरक्षा भत्ता की धनराशि एवं खाद्यान्न की गणना के अनुसार रिकवरी निर्धारित की जाती है। जिसकी वसूली नियमानुसार पेंशन स्वीकृति अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त की जा सकती है।

उक्तानुसार अधोहस्ताक्षरी ने कार्यालय के पत्रांक*:*संख्या */ 8257-64 /* एम०डी०एम० */ 2023-24* दिनांक*-30.06.2023* एवं पत्रांक*:* संख्या*/11952-58 /* एम०डी०एम० */ 2023-24* दिनांक *05.09.2023* के द्वारा अंकन*-11,14,160.00* रू० *(*ग्यारह लाख चौदह हजार एक सौ साठ रूपये मात्र*)* की रिकवरी हेतु पेंशन स्वीकृति अधिकारी/अपर निदेशक, पेंशन, एवं कोषागार, मेरठ मण्डल मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में पेंशन स्वीकृति अधिकारी/अपर निदेशक, पेंशन, एवं कोषागार, मेरठ मण्डल मेरठ के कार्यालय पत्रांक*-489/*अ०नि०*/*वसूली*/2022-23 /* क्षे०का० मेरठ दिनांक*-30.09.2023* के क्रम में निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ महोदय के संलग्न कार्यालय आदेश पत्रांक-म०प्र०प्रा०*/2189-93/2023-24* दिनांक*-25.10.2023* को अधोहस्ताक्षरी को वादी से पी०एम०पोषण योजना की गबन की गई धनराशि अंकन*-11,14,160* रू० की ब्याज सहित वसूली अवगत कराने हेतु आदेशित किया गया। जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक*-15397-405/*एम०डी०एम०*/2023-24* दिनांक*-28.10.2023* के द्वारा वरिष्ठ कोषाधिकारी, महोदय बागपत को उक्तानुसार आपके आदेश का संदर्भ ग्रहण कराते हुए पी०एम०पोषण योजना की गबन की गयी धनराशि की वसूली करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। *(*छाया प्रति संलग्नक*-8)*

प्रकरण में श्री सुरेन्द्र दत्त कौशिक के विरुद्ध कोरोना काल की अवधि में मिड-डे-मील के धन एवं खाद्यान्न के गबन के सम्बंध में रिकवरी करने तथा सरकारी दस्तावेजों को गायब/नष्ट करने, अमानत में खयानत, धोखाधड़ी, आपातकाल में सरकारी दायित्वों को पूर्ण न करने/दुरुपयोग करने इत्यादि कृत्यों के कारण सुसंगत धाराओं में एफ०आई०आर० दर्ज कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक-एम०डी०एम० */ कोर्ट केस */ 6088-6101 / 2023-24* दिनांक*-20.05.2023* के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी बड़ौत को निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम खण्ड शिक्षा अधिकारी, बड़ौत के कार्यालय के पत्रांक*-3235-36/ 2023-24* दिनांक*-24.05.2023,* पत्रांक*-3246-47 / 2023-24* दिनांक*-30.05.2023,* पत्रांक*-3258-59 / 2023-24* दिनांक*-08.06.2023,* पत्रांक*-3277-78/2023-24* दिनांक*-16.06.2023* के द्वारा प्रबन्धक, सर्वोदय मन्दिर इण्टर कालिज बावली बड़ौत को पत्र प्रेषित किये गये परन्तु एफ०आई०आर० दर्ज नहीं हुई।

एफ०आई०आर० दर्ज न होने के कारण प्रकरण जिलाधिकारी, महोदय बागपत को पत्रावली पर एफ०आई०आर० की अनुमति हेतु दिनांक*-18.08.2023* को प्रेषित किया गया। जिस पर जिलाधिकारी, महोदय बागपत द्वारा निर्देश दिये गये- "देखा, नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से यथोचित वैधानिक कार्यवाही किया जाना उचित होगा।"

तदानुसार जिलाधिकारी, महोदय के निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः निर्देश पत्र कार्यालय पत्रांक*-11274-83/*एम०डी०एम० */ कोर्टकेस / 2023-24* दिनांक*-23.08.2023* एवं पत्रांक*-14205-15/*एम०डी०एम०

/कोर्ट केस / *2023-24* दिनांक-*10.10.2023* के द्वारा श्री आर०पी०तोमर, प्रबन्धक सर्वोदय इण्टर कॉलेज, महावतपुर बावली को प्रेषित किया। जिसके क्रम में प्रबन्धक द्वारा श्री सुरेन्द्र दत्त कौशिक सेवानिवृत्त कार्यवाहक प्रधानाचार्य के विरुद्ध सरकारी धन / पत्रजातों की वसूली हेतु तथा विद्यालय/सरकारी दस्तावेजों को अपने साथ ले जाने अथवा नष्ट करने हेतु सुसंगत धाराओं में सम्बन्धित थाने में दिनांक-*31.10.2023* में आई०पी०सी० की धारा *1860* में प्रावधानित धारा *409* के अन्तर्गत एफ०आई०आर० दर्ज करा दी गई। *(*छाया प्रति संलग्नक-*9)*

उक्त एफ०आई०आर० में रंजित अभियोजन न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं०-*02* बागपत में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र सं०-*1006/2023* अग्रिम जमानत हेतु दिया। जिसमें मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं*0-02* बागपत द्वारा यथा आदेश पारित किया गया। मुख्य अंश प्रस्तुत है:- "इस मामले में विवेचना अभी प्रचलित है, पद पर रहते हुए गबन हेतु धारा-*409* भा*0* दं*0* सं*0* में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार आर्थिक दुरूपयोग का मुकदमा है। केस डायरी से यह तथ्य भी विदित होता है कि जैसा कि तर्क विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु दौरान विवेचना नोटिस जारी किये गये हैं। इससे यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अभी विवेचना प्रचलित है। ऐसे मामले में अग्रिम जमानत दिये जाने से विवेचना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। अतः समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।"

तदानुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। *(*छाया प्रति संलग्नक-*10)*

उक्त से स्पष्ट है कि मा*0* न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं*0-02* बागपत द्वारा वादी की अग्रिम जमानत निरस्त हो गयी है।

अतः उक्तानुसार आख्या से अवगत होने का कष्ट करें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं*0-9948/2023* सुरेन्द्र दत्त कौशिक बनाम उ *0* प्र *0* राज्य एवं *05* अन्य में मा*0* उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक-*15.12.2023* के अनुपालन के सम्बन्ध में गबन की गयी खाद्य सुरक्षा भत्ते की राशि रू*0*-अंकन-*11,14,160 (*रू ग्यारह लाख चौदह हजार एक सौ साठ मात्र*)* की रिकवरी श्री सुरेन्द्र दत्त कौशिक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, सर्वोदय मन्दिर इण्टर कालिज *(*जू*0* हा*0* स्कूल स्तर तक अनुदानित*)* महावतपुर बावली वि*0* क्षे*0*-बड़ौत, जनपद बागपत से सी*0* एस *0* आर *0* की धारा *351*-ए के अन्तर्गत प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे खाद्य सुरक्षा भत्ते की रिकवरी के साथ-साथ मा*0* उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की मा*0* न्यायालय की अवमानना की स्थिति से बचा जा सके।"

3. In above background, the Special Secretary, Government of Uttar Pradesh made a communication to the Director, Mid Day Meal Authority vide a letter dated 07.11.2025 that State has taken a decision that amount of about Rs. 11 lacs already determined in

inquiry shall be recovered from petitioner under the provisions of Article 351A of Civil Service Regulations. For reference contents of letter dated 07.11.2025 is reproduced hereinafter:

> *"*उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-म०भो०प्रा०*/3073-74/2023-24,* दिनांक-*23.01.2024 (*छायाप्रति संलग्न*)* का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
>
> *2.* इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री सुरेन्द्र दत्त कौशिक, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, सर्वोदय मन्दिर इण्टर कालेज *(*जू०हा०स्कूल तक अनुदानित*)*, महावतपुर, बावली, विकास क्षेत्र-बड़ौत, जनपद-बागपत से गबन की धनराशि रू*0-11,14,160.00/- (*ग्यारह लाख चौदह हजार एक सौ साठ मात्र*)* की रिकवरी सी०एस०आर० की धारा-*351-*ए के अन्तर्गत प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।
>
> *3.* अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्त के दृष्टिगत कार्यवारी सुनिश्चित कर, कृत कार्यवाही से शासन को *15* दिन के भीतर अवगत कराने का कष्ट करें।
>
> *4.* मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सेवानिवृत्ति *(*दिनांक-*31.03.2021)* के पश्चात् भी शासकीय धन का आहरण किये जाने के सम्बंध में श्री सुरेन्द्र दत्त कौशिक को संरक्षण प्रदान करने एवं कार्य लिये जाने का अवसर प्रदान किये जाने वाले अधिकारी/कार्मिक का उत्तरदायित्व भी जांचोपरान्त निर्धारित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु सुस्पष्ट प्रस्ताव भी शासन को *15* दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
>
> *5.* प्रकरण उच्चादेशों से आच्छादित है। अतः समयबद्धता एवं व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।*"*

4. On basis of above direction the Mid Day Meal Authority intimated District Basic Education Officer, Baghpat to undertake the recovery proceedings against petitioner. Accordingly, Additional Director, Pension and Treasury, Meerut Region, Meerut was communicated by District Basic Education Officer, Baghpat vide order dated 18.12.2025 that said amount of Rs. 11,14,160/- be recovered from pension of petitioner under Article 351A of Civil Service Regulations.

5. Consequently, Additional Director, Pension and Treasury, Meerut Region, Meerut vide order dated 13.01.2026 communicated the same direction to Senior Treasury Officer, Baghpat to carry out the recovery.

6. Now the petitioner has challenged above referred orders dated 07.11.2025, 18.12.2025 and 13.01.2026 by means of present writ petition.

7. Sri Awadh Narain Rai, learned counsel for petitioner submitted that in earlier round of litigation a Coordinate Bench has passed the judgment dated 15.12.2023 that earlier proceedings cannot be said to be departmental inquiry and at best it can be said to be a fact finding inquiry other than a departmental inquiry. It was also observed that without permission under Article 351A of Civil Service Regulations, no departmental proceedings can be initiated after petitioner got retired. However, State-Respondents have again proceeded on basis of earlier inquiry and on basis of a purported permission under Article 351A and without conducting a fresh departmental inquiry, the order of recovery was passed. Directions of this Court, therefore, are not complied with.

8. Learned counsel for petitioner also referred the letter dated 07.11.2025 that purported permission under Article 351A of Civil Service Regulations was provided by State, whereas under the said provision permission is required to be granted by Governor, therefore, the permission itself is contrary to law and accordingly all further proceedings are bad in law and are liable to be quashed.

9. Per contra, Sri Dhananjay Singh, learned Standing Counsel and Sri Arjun Prasad Yadav, Advocate for respondents, have supported the impugned orders that permission granted under Article 351A of Civil Service Regulations was in consonance of Governor and since the inquiry was already held wherein on basis of material available it was held that petitioner has committed embezzlement of huge

amount of Rs. 11 lacs in the Mid Day Meal Scheme, therefore, an order of recovery was passed.

10. I have heard learned counsel for parties and perused the material available on record.

11. In the present case it would be appropriate to take note of earlier judgment passed by the Coordinate Bench wherein it was specifically held that inquiry already conducted could be considered merely a fact finding inquiry and not a disciplinary proceedings and accordingly directions were passed though a liberty was granted to respondents that amount can be recovered, however, only as per due process of law.

12. In aforesaid circumstances, the due process of law would be that concerned respondent firstly has to take permission from the Governor as required under Article 351A of Civil Service Regulations and subsequently to initiate disciplinary proceedings, i.e., by submitting a charge sheet. The earlier inquiry report could only be considered a basis to pursue the Governor to grant permission under Article 351A of Civil Service Regulations.

13. However, the Court finds and as it is evident from above referred facts that respondents have proceeded only on basis of earlier inquiry report which is nothing but a fact finding inquiry and on basis of a letter whereby State has granted permission under Article 351A an order for recovery was passed.

14. Admittedly even it is considered that permission granted by above referred letter would be sufficient under Article 351A of Civil Service Regulations, still the respondents have to carry out a fresh disciplinary proceedings, i.e., to issue a charge sheet and to conclude

disciplinary proceedings subsequently in accordance with law. Admittedly no such action was taken. Therefore, only on basis of earlier fact finding inquiry, it could not be concluded that petitioner and other have committed embezzlement of about Rs. 11 lacs.

15. In aforesaid circumstance, the Court finds that irregularities are occurred while passing the impugned order. Firstly, that purported permission granted under Article 351A of Civil Service Regulations and communicated vide letter dated 07.11.2025 cannot be construed a permission granted by Governor since contents of it does not reflect so. Therefore, in absence of a legal permission under Article 351A no disciplinary proceedings can be commenced against the petitioner after his retirement.

16. Otherwise also, the earlier order passed by a Coordinate Bench of this Court has already restricted respondents to pass an order on basis of earlier inquiry report and the Court has specifically observed that an action can be taken against petitioner only on basis of a fresh disciplinary proceedings and admittedly in the present case no fresh disciplinary proceedings were initiated even after purported permission is granted vide letter dated 07.11.2025.

17. In view of above, impugned orders dated 07.11.2025, 18.12.2025 and 13.01.2026 are hereby set aside. However, the respondents are at liberty to proceed strictly in accordance with law as well as only in terms of directions passed by a Coordinate Bench vide judgment dated 15.12.2023 and observations made in this judgment.

18. Since allegations are very serious against petitioner, i.e., embezzlement of about Rs. 11 lacs, therefore, concerned respondent

ought to have taken an endeavour to conduct fresh inquiry even after petitioner's retirement in accordance with law and for that there are provisions and this Court has already permitted respondents to act in accordance with law after taking permission of the Governor under Article 351A of Civil Service Regulations.

19. With aforesaid observations/ directions, this writ petition is disposed of.

(Saurabh Shyam Shamshery,J.)

February 24, 2026
AK

Digitally signed by :-
AWADESH KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad